राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा)
पंचायत समिति परिसर, झोटवाड़ा, जयपुर –302012
दूरभाष : 0141–2349083, 2349084 **E mail:pdjpr_atma@rediffmail.com**

क्रमांकः–एफ. 4( )आत्मा/कृ.पु./2020–21/797 दिनांकः– 27.7.2020

विज्ञप्ति

कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष कृषि उद्यमों के श्रेष्ठ कृषकों को राज्य, जिला तथा पंचायत समिति स्तर पर चयन कर पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान है। राज्य, जिला तथा पंचायत समिति स्तरीय प्रत्येक पुरस्कार में क्रमशः 50,000, 25,000 एवं 10,000 रूपये तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इस हेतु जिले की प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर गतिविधिवार "((1) कृषि (2) उद्यानिकी (3) पशुपालन डेयरी (4) जैविक खेती (5) नवाचारी खेती)" एक–एक कृषक का चयन किया जायेगा। पंचायत समिति स्तर पर चयनित कृषकों में से 10 श्रेष्ठ कृषको (प्रत्येक गतिविधि हेतु 02 कृषक) को जिला स्तर पर चयनित किया जावेगा। राज्य स्तर के पुरस्कार हेतु जिला स्तर पर प्रथम स्तर के चयनित सर्वश्रेष्ठ कृषकों में से प्रत्येक गतिविधि हेतु 2–2 कृषकों (10 कृषक) का चयन किया जाना है। जिन कृषकों को पूर्व में आत्मा योजनान्तर्गत किसी भी स्तर के (पंचायत समिति, जिला एवं राज्य स्तर) पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है, वे कृषक वर्ष 2020–21 के पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होंगें। इसके लिये आवेदन स्थानीय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक को प्रस्तुत कर सकते है।

पुरस्कार हेतु कृषक द्वारा स्वयं अथवा निर्वाचित जन प्रतिनिधि/संस्था/विभाग/व्यक्ति, यदि किसी कृषक को उक्त सम्मान के योग्य समझते है, तो वह कृषक का नाम, कार्य का विवरण एवं अन्य जानकारियां देते हुए दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा), जिला जयपुर को प्रस्तुत कर सकता है।

उप निदेशक कृषि एवं पदेन
परियोजना निदेशक (आत्मा)
जिला जयपुर